

आरटीआई वार्षिक रिटर्न सूचना प्रणाली
तिमाही रिटर्न प्रपत्र

लोक प्राधिकारी: उपभोक्ता मामले विभाग
मंत्रालय का नाम: उपभोक्ता मामले विभाग
तिमाही: चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) 2019-2020

***ब्लॉक I (अनुरोधों और अपीलों के बारे में ब्यौरे)**

		तिमाही के दौरान प्रगति					
	पहली तिमाही के आरंभ में अथशेष	धारा 6(3) के तहत अन्य पी.ए. से हस्तांतरित किए गए आवेदनों की संख्या	तिमाही (अन्य पी.ए. को हस्तांतरित किए गए मामलों सहित) के दौरान प्राप्त किए गए	धारा 6(3) के तहत अन्य पी.ए. को हस्तांतरित किए गए मामलों की संख्या	अस्वीकृत किए गए अनुरोध/अपील के संबंध में निर्णय	उत्तर दिए गए अनुरोध/अपील के संबंध में निर्णय	
अनुरोध	24	102	117	94	0	141	
प्रथम अपील	2	लागू नहीं	9	लागू नहीं	2	9	
		पदनामित सीपीआईओ की कुल संख्या	0	पदनामित सीपीआईओ की कुल संख्या	15	पदनामित ए.ए. की कुल संख्या	14

***ब्लॉक II (लिए गए शुल्क, लगाये गये जुर्माने और किये गये दंडात्मक कार्रवाई के ब्यौरे)**

धारा 7(1) के तहत लिये गये पंजीकरण शुल्क (रुपये में)	धारा 7(3) के तहत लिये गये अतिरिक्त शुल्क (रुपये में)	धारा 20(1) के तहत सी.आई.सी. द्वारा दिये गये निर्देश के तहत वसूले गये जुर्माने की राशि (रुपये में)	धारा 20(2) के तहत ऐसे मामलों की संख्या जहां किसी भी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
480	60	0	0

***ब्लॉक III (अनुरोध किये गये सूचना को अस्वीकृत करते समय धारा 8 के विभिन्न प्रावधानों के ब्यौरे)**

अनुरोध को अस्वीकृत करते समय लागू किए गए विभिन्न प्रावधान
आरटीआई अधिनियम, 2005 के संदर्भित धाराएं

धारा 8(i)										धारा			
क	ख	ग	घ	ङ.	च	छ	ज	झ	ञ	9	11	24	अन्य
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

***ब्लॉक iv (अनिवार्य प्रकटीकरण से संबंधित ब्यौरे)**

क. क्या धारा 4(1) (ख) के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण को लोक प्राधिकारी की वेबसाइट पर डाला जाता है?	उस वेब पेज का ब्यौरा/यू.आर.एल. प्रदान करें जहां प्रकटीकरण को पोस्ट किया जाता है (अधिकतम 150 शब्द)
हां	https://consumeraffairs.nic.in
ख. धारा 4(1) ख के तहत अनिवार्य प्रकटीकरण को अद्यतन करने की अंतिम तारीख	2020-07-30